


पृष्ठां.कंमांक 746 / को.वा. / 2020 खंडवा दिनांक 10.08.2020
प्रतिलिपि आदेशानुसार:-

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
02. विशेष न्यायाधीश अजा / अजजा अत्या.नियारण अधिनियम, खंडवा।
03. प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा।
04. प्रथम / तृतीय / षष्ठमसिविल जज वर्ग-1 खंडवा।
05. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, हरसूद / पुनासा।
06. प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ सिविल. जज वर्ग-2, खंडवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण खंडवा।
07. कलेक्टर, जिला खंडवा।
08. पुलिस अधीक्षक, खंडवा।
09. अध्यक्ष अभिभाषक संघ / खंडवा / हरसूद / पुनासा।
10. जिला अभियोजन / जिला अभियोजक अधिकारी, खंडवा।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी, द्वितीय व्य.न्याया.वर्ग-1 एवं विशिष्ट रेलवे मजिस्ट्रेट, खंडवा।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


10/8/20

(वीरेन्द्र एस0 पाटीदार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुरहानपुर

एवं प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)



कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़ खण्डवा, (म.प्र.)


कं. 153 /को.वा./2020

खंडवा दिनांक 10.06.2020

::-आदेश-::

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आदेश क्रमांक 571/गोपनीय/2020/दो-2-1/2020 जबलपुर दिनांक 08 जून 2020 के परिपालन में पृष्ठांकन क्रमांक 572/गोपनीय/2020/दो-2-1/2020 जबलपुर दिनांक 08 जून 2020 की कंडिका 05 में दिये गये निर्देश के अनुसार श्रीमती सीता कनौजे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी हरसूद से उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त तहसील खंडवा एवं पंधाना से संबंधित आवश्यक सिविल एवं दांडिक न्यायिक कार्यों का, जिला मुख्यालय, खंडवा पर पदस्थ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अथवा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के क्वारंटाइन अवधि पूर्ण कर सेवा पर लौटने तक कार्य संपादन के लिए निर्देशित किया गया था।

जिला मुख्यालय, खंडवा पर पदस्थ श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, खंडवा एवं विशिष्ट रेलवे मजिस्ट्रेट, खंडवा कन्टेनमेंट जोन समाप्त होने पर दिनांक 09.06.2020 को कर्त्तव्य पर उपस्थित हो जाने से श्रीमती सीता कनौजे, प्र.व्य.न्याया.वर्ग-1, हरसूद के स्थान पर श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, खंडवा एवं विशिष्ट रेलवे मजिस्ट्रेट, खंडवा को तहसील खंडवा एवं पंधाना से संबंधित आवश्यक सिविल एवं दांडिक न्यायिक कार्यों का, जिला मुख्यालय, खंडवा पर पदस्थ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अथवा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने तक मजिस्ट्रेट न्यायालयों का कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। साथ ही आगामी आदेश तक अवकाश दिवसों में भी श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, खंडवा एवं विशिष्ट रेलवे मजिस्ट्रेट, खंडवा उपस्थित रहकर नियमानुसार रिमांड ड्यूटी किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।


10/6/20
(वीरेन्द्र एस0 पाटीदार)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुरहानपुर

एवं प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)